तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार की तामील
21/3/2025	पत्रावली पेश हुई। बकलाय उपस्थित। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनो बिन्दु सायल के पक्ष मे साबित ना होकर गैरसायलान के पक्ष मे साबित होते है अतः सायल का प्रार्थना पत्र साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी– श्री श्याम सुन्दर चैतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या – 2 / 184 / 2022 दायर दिनांक – 01 / 07 / 2022

जीसीएमएस नं0 – 2022 / 00365 निर्णय दिनांक – 21 / 03 / 2025

बउनवाम

1. श्यामलाल पुत्र रामसहाय जाति बैरागी निवासी सहायपुर पाखर तहसील मण्डावर जिला दौसा हालबासी ए–252 जे जे कॉलोनी मांदीपुरनई दिल्ली–63

—— सायल

बनाम

1. धनीराम पुत्र भगवाना जाति बैरवा निवासी साजनपाडा तहसील कठूमर जिला अलवर हालवासी ए 256 जे जे कॉलोनी मांदीपुर नई दिल्ली–63
2. सुखराम पुत्र भगवाना जाति बैरवा निवासी साजनपाडा तहसील कठूमर जिला अलवर हालवासी ए 256 जे जे कॉलोनी मांदीपुर नई दिल्ली–63
3. तहसीलदार तहसील कठूमर जिला अलवर जरिये लैण्ड होल्डर
4. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर

—— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति:–1. फतेहसिंह सैनी– अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. बलवीर चौधरी– अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 131, 132, 133, 273, 278, वाके ग्राम साजनपाडा तहसील कठूमर में स्थित है। भगवाना सायल का नाना व गैरसायल संख्या 1–2 का पिता है। सायल एंव भगवाना आपस में नाना नवासे लगते है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल के नाना भगवाना की पैदा कर्दा होने से पैत्रिक आराजी है। भगवाना से ही विवादित आराजी सायल की माता सोमवती को विरासत में प्राप्त हुई। जिसमें सायल को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा हो चुके है। विवादित आराजी में गैरसायलान सं0 1–2 के नाम दर्ज आराजी में सायल का व तरतीवी प्रतिवादी सं0 5 ला0 10 का 1/6 हिस्सा बनता है। सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी की माता सोमवती धनीराम व सुखराम जो तीनों ही भगवाना की संताने है जो कि विवादित आराजी में भगवाना का 1/2 हिस्सा था। जव भगवाना फौत हुआ था उस समय उसके तीन वारिस जीवित मौजूद थे सोमवती पुत्री, धनीराम व सुखराम पुत्र इस तरह कुल तीन वारिस मौजूद थे इसलिए आराजी उपरोक्त के भगवान वाले 1/2 हिस्सा में तीनों वारिसान का समान हिस्सा है। सायल को मृतक भगवाना की आराजी में 1/6 हिस्सा बनता है। नामान्तकरण संख्या 123 निरस्त किया जावे। जव तक सायला की मां सोमवती जीवित रही अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करती रही उसके मरने के वाद सायल काविज रहकर काश्त कर रहा है। सायल ने गैरसायलान से अपने 1/6 हिस्सा की आराजी अपने नाम कराने वावत कहा तो गैरसायलान ने इन्कार कर दिया। गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है झगडा करते है तथा सायल को वेदखल करने पर अमादा है। विवादित आराजी को गैरसायल संख्या 4 से मिल्लत कर दीगर लोगों को रहन वय करने पर अमादा है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 2 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी विवादित व पैत्रिक नहीं है। सायल का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है। भगवाना सन् 1983 में फौत हो गया था। भगवाना के फोत होने के बाद सोमवती

उपखण्ड अधिकारी
कठमूर (अलवर) राज०

की सहमति एंव उसके हक त्याग के शपथ पत्र देने पर भगवाना की विरासत का इन्तकाल गैरसायल सं0 1 धनीराम व गैरसायल संख्या 2 सुखराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर फैसल हुआ था तभी से भगवाना से विरासत में प्राप्त वर्णित आराजी पर 1/2 हिस्से पर गैरसायल सं0 1 धनीराम व 1/2 हिस्से पर गैरसायल सं0 2 सुखराम निर्विवाद रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल बे कब्जा व्यक्ति है। बेकब्जा व्यक्ति किसी प्रकार का मुकदमा लाने व बांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी पर गैरसायल संख्या 1–2 निर्विवाद रूप से काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी पर ना तो सायल की मां का कभी कब्जा रहा और ना सायल व तरतीवी प्रतिवादी सं0 5 ला0 11 का कब्जा रहा। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 व नकल इन्तकाल संख्या 123 वाके ग्राम साजनपाडा की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता सायल ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल के नाना भगवाना की पैदा कर्दा आराजी है। जिसमें सायल की मां को 1/6 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ था। जब तक सायल की मां सोमवती जीवित रही उक्त आराजी के 1/6 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करती रही उनके मरने पर सायल काविज रहकर काश्त कर रहा है। गैरसायल सं0 1–2 ने मृतक भगवाना का विरासत इन्तकाल अपने नाम बहिस्सा बराबर स्वीकार कराया है जो गलत है। जिस गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करने पर अमादा है इस वजह से गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि सायल का विवादित आराजी से वास्ता नहीं है। सायल की मां सोमवती की सहमति पर ही गैरसायल सं0 1–2 के नाम विरासत इन्तकाल स्वीकार हुआ है। सोमवती सन् 1986 में फौत हो गयी जिसने अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। सायल नाकाविज है नाकाविज सायल का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस वजह से मौजूदा प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने के कारण खारिज किया जावे।

सायल को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है।

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः– मृतक भगवाना का विरासत इन्तकाल सख्या 123 गैरसायल सं0 1–2 मृतक के दो पुत्रों के हक में स्वीकार हुआ है। सायल का कथन कि सायल की मां सोमवती भी मृतक भगवाना की पुत्री है जिसका भगवाना की जमीन में 1/3 हिस्सा है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल व इन्तकाल की छाया प्रति पेश की है। इन्तकाल 1986 में स्वीकार हुआ है लेकिन सायल की मां सोमवती ने अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इतने समय वाद सायल ने अव अपने हिस्से का मुकदमा पेश किया है। सायल का विवादित आराजी पर कब्जा हो इस तरह का सायल ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। गैरसायल सं0 1–2 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी में सायल का किसी तरह का हक हिस्सा व अधिकार बनता है तो यह मूल वाद में मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किया जावेगा। सायल प्रथम दृष्टा केस अपने पक्ष में सावित कराने मे असफल रहा है। प्रथम दृष्टा केस गैरसायल के पक्ष में सावित है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

सुविधा का सन्तुलनः—विवादित आराजी गैरसायल सं0 1–2 की खातेदारी में दर्ज है। सायल को किसी तरह की असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है।सायल ने अपना प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पैत्रिक होने जिसमें सायल को बाई बर्थ हक व अधिकार पैदा होने सायल का कब्जा होने वाबत तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर ही तय किये जावेंगे। सायल को किस तरह की क्षति या नुकशान व असुविधा हो रही है इस तथ्य को सावित करने में सायल असफल रहा है। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में प्रबल है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। कानूनन एक खातेदार काश्तकार को पाबन्द नहीं किया जा सकता। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल को ना होकर गैरसायलान को होगी। ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र सावित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 04.07.2022 को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर